e No. IRR 2-1/1.9/7/2022-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 136
/388●/2022

/38875/2022

प्रेषक,

हरिचन्द्र सेमवाल,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,

देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2 **देहरादून, दिनांक 31 मई, 2022**

विषयः– बाढ़ प्रबन्धन एवं सीमान्त क्षेत्र कार्यक्रम (Flood Management & Border Area Programme-FMBAP) के अन्तर्गत यू0के0–14, 15 एवं यू0के0–19 योजनाओं पर केन्द्रांश की धनराशि की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या–178/प्र0अ0/सिं0वि0/बी–1(सामान्य), दिनांक 31.03.2022 एवं पत्र संख्या–180/प्र0अ0/सिं0वि0/बी–1(सामान्य), दिनांक 06.04.2022 में किये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में बाढ़ प्रबन्धन एवं सीमान्त क्षेत्र कार्यक्रम (Flood Management & Border Area Programme-FMBAP) योजना के अन्तर्गत यू0के0–14, 15 एवं यू0के0–19 योजनाओं पर संलग्नक–1 के अनुसार भारत सरकार से अनुदान के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 277.385 लाख (रूपये दो करोड़ सतहत्तर लाख तीन सौ पिचासी मात्र) की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2022–23 में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं:–

1. अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है। धनराशि का आहरण/व्यय संबंधित वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों, बजट मैन्युएल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं समय–समय पर यथा संशोधित नियमावली के अन्तर्गत एवं भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जायेगा।
2. उक्त अवमुक्त धनराशि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में आहरित कर व्यय की जायेगी। अवमुक्त की गयी धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जाये, यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार शासन को सूचित किया जायेगा।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग समय–समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र समय से भारत सरकार/राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि भारत सरकार के आदेशानुसार अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पूर्व में कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग एवं सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(2-1/1.9/7/2022-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 1361
022
2022 **5.** इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4711–01–103–0101–53 के नामे डाला जायेगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–236/XXVII(1)/2022/09(150)2019, दिनांक 04.04.2022 एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में प्राप्त दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–ऑलेटमेंट आई0डी0

भवदीय,

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 30-05-2022 14:52:00

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हरिद्वार/नैनीताल।
5– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अजीत सिंह)
उप सचिव।